12.11.2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष
अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली पर
बहस करते हुए निवेदन किया कि
उत्तरदाता [illegible] अपीलाधीन आदेश की आड़
में अपीलांटगण के नाम से स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत
आवास का निर्माण नहीं होने दिया
जा रहा है। अपीलांटगण द्वारा अपने
नाम स्वीकृत आवास का निर्माण ग्राम
पंचायत की आबादी भूमि खसरा संख्या
314/205 रकबा 04 बीघा में किया जा
रहा है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में
निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा के
संबंध में कोई मौका रिपोर्ट नहीं
मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई
का समुचित अवसर नहीं दिया
गया। अपीलाधीन आदेश विधि
द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन
किये बिना पारित किया गया।
अतः अपीलांटगण की अपील को
स्वीकार फरमाया जावे।
अधिवक्ता रेस्पो. ने अपील पत्रावली
पर बहस करते हुए निवेदन किया
कि आबादी में मकान से संबंधित
क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न
होकर सिविल न्यायालय को है।
रेस्पो. की खातेदारी भूमि में अपीलांट

खा हुक्म

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को प्रमाण बनाने का अधिकार नहीं है। अपीलांट सरकारी भूमि हड़पने की लालसा से एवं रेस्पो. की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण की नियत से न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।	
	अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्ड खातेदार नहीं है। अपीलांट को रेस्पो. की खातेदारी भूमि एवं सरकारी भूमि पर निर्माण की स्वीकृति दिया जाना कतई स्वीकार्य/न्यायोचित नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के मालूम में अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित होगा।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई आदेश पारित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 238/2018 (170/2019) अमनदान इनाम बनाम प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21/10/2019 को बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय नकल प्रति के लौटाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर